न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 252/2018

1. गोपाललाल पुत्र गोकल
2. मनमर पत्नि धुकल

सर्व जाति अहीर (यादव) सर्व निवासीगण ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

वनाम

1. मू–धारी जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 1955

दिनांकः

उपस्थितः वकील श्री रामदेव गुर्जर प्रार्थीगण अभिभाषक
अप्रार्थी

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 116/2 रकबा 06–06–00 जो प्रार्थी सं0 1 की खातेदारी आराजी है एवं खसरा नम्बर 116/1 रकबा 09–06–00 जो प्रार्थी सं0 2 की खातेदारी की भूमि है। उपरोक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण/खातेदारान् के आने–जाने के लिये एवं कृषि यंत्र, अपने मवेशियों, अपनी फसल को निराई–गुडाई करने हेतु मजदूर एवं स्वयं के आने–जाने के लिये कोई भी सस्ता, सरल, सनिकट, अन्य कोई वैकल्पिक (Alternative Way) मार्ग उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र खसरा नम्बर 114 रकबा 01–03–00 किस्म बारानी अवल है जो राजकीय भूमि है अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

सं0 1 भू–धारी होने से एवं राज्य सरकार के स्वामित्व होने से राजकीय भूमि के लिये सार्वजनिक रास्ता घोषित अथवा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त राजकीय भूमि के आगे सरकारी रास्ता/रोड़ है जो ग्राम तिलोनिया से नोहरिया जाती है जिसके खसरा नम्बर 125 है। वाद कारण दिनांक 31.07.2018 को जब उत्पन्न हुआ कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 116/2 एवं 116/1 में फसल बिजाई हेतु कदमी रास्ते खसरा नम्बर 114 में से होतु हुये अपने खेत में ट्रेक्टर लेकर जा रहे थे तब पड़ौसी खातेदारान् द्वारा उक्त सरकारी भूमि को अपनी भूमि से मिलाने के उद्देश्य से बुआई करने पर ऊतारू हो गये जबकि खसरा नम्बर 114 सरकारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने एवं मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने, ले जाने हेतु खसरा नम्बर 114 राजकीय भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया तथा प्रार्थीगण द्वारा डी0एल0सी0 दर के अनुसार निर्धारित मूल्य अप्रार्थी को अथवा खाता संख्या 001 में अदा करने बाबत् अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया।

3. अप्रार्थी सं0 1 को नोटिस वास्ते जाहिर करने वहज (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 06.08.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति दिनांक 04.09.2019 को वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई। अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब के साथ संलग्न पटवारी हल्का पाटन की रिपोर्ट अनुसार राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 116/1 व 116/2 तरमीम होकर पृथक–पृथक अंकित है तथा ग्राम पाटन के खसरा नम्बर 114 रकबा 01–03–00 बंजर अव्वल (सिवायचक) में से चाहे गये रास्ते की लम्बा 20 गट्टा व चौड़ाई 2 गट्टा अनुसार 00–02–00 भूमि बनती है। खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 116/1 व 116/2 में पंहुच हेतु प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि एवं सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 114 के मध्य अन्य खातेदार रामप्यारी पुत्री कालूराम कौम बावरिया सा0 जयपुर हाल पाटन की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 115 की उत्तरी पश्चिमी सीमा के काने में रास्ता की पंहुच होती है जिसका 5 गट्टाX2 गट्टा यानि 00–00–10 भूमि बनती है। जिसका नजरी मानचित्र हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया है, जो निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी

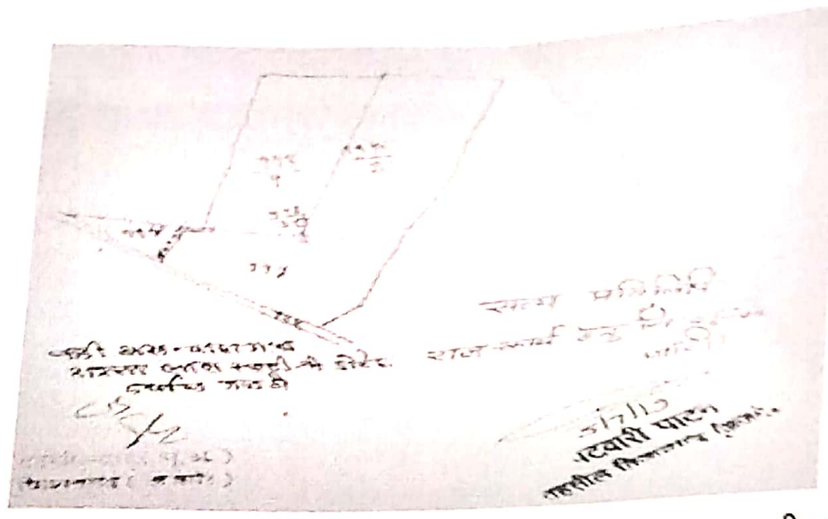

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। उनके द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि आवेदित भूमि खसरा नम्बर 116/2 रकबा 09–06–00 व खसरा नम्बर 116/1 रकबा 09–06–00 भूमि प्रार्थी सं0 1 व 2 की पृथक–पृथक तरमीमशुदा खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में आवागमन एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 114 राजकीय भूमि में से होकर होता है एवं उक्तानुसार ही रास्ता चाहा गया है।

5. हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार खसरा नम्बर 125 गै0मु0 रास्ते से खसरा नम्बर 114 सरकारी भूमि से आवेदित भूमि खसरा नम्बर 116/1 व 116/2 में आवागमन स्पष्ट नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा पेश रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि खसरा नम्बर 116/1 व 116/2 में आवागमन हेतु चाहे गये रास्ता खसरा नम्बर 114 की भूमि के मध्य अन्य खातेदार रामप्यारी पुत्री कालूराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 115 की भूमि भी रास्ते में प्रभावित होती है, किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त खातेदारी भूमि के खातेदार को प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार सुनियोजित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को नजरी मानचित्र में स्पष्ट अंकित नहीं करने से एवं रास्ते में प्रभावित होने वाली भूमि के खातेदारान् को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/11/19..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2019.12.02 18:57:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: